न्यायालय तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 01/18   निर्णय दिनांक 17.09.2018

सरकार जरिये   बनाम   श्री हीरालाल पिता मथूरादास

पटवार हल्का जयनगर   बैरागी नि0 जयनगर

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

पत्रावली आज मुकाम जयनगर पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयनगर ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री हीरादास पिता मथूरादास बैरागी निवासी जयनगर तहसील बेगूँ के ग्राम जयनगर में स्थित आराजी नम्बर 87मी. रकबा 0.25 है0 किस्म बंजड पर सम्वत् 2075 खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि पर रकबा 0.15 है0 में फसल मक्की बोकर व रकबा 0.10 है0 पडत रखकर अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91 (3) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया ।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षैत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम जयनगर में स्थित खसरा नम्बर 87 मी. रकबा 0.25 है0 किस्म बंजड भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 2.00रू. का 50 गुणा राशि 100/– रूपये आरोपित किये जाते है। जो वसूल हो। पूर्व में कब्जे सरकार फसल को निलाम कर पत्रादी वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत करे।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से ... जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.13 13:38:12 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

वर्ष ... 6 ...
पर कायमी पेनाल्टी 100 अन्य 150
कुल 250 कायम की गई।

तहसील राजस्व लेखकार
बेगूँ